बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग

<u>आदेश</u>

आ0सं05/आ02–1010/2012– 102 पटना, दिनांक– 18.02.14

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–591 दिनांक–05.04.2012 द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्वजल धारा योजना के अधीन मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड अन्तर्गत गोरीगामा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में बरती गई अनियमितताओं के लिए श्री देवन दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बोचहाँ (सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा सुलतानगंज, प्रमंडल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर) के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–032/2012 दिनांक–29.0312 अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किये जाने का मामला प्रतिवेदित किया गया। उक्त आरोप के आलोक में श्री दास के विरूद्ध विभागीय संकल्प सह पठित ज्ञापांक–30 दिनांक–31.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है, जिसके संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त बिहार, पटना को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. वर्णित स्थिति में बिहार राज्यपाल यह आदेश देते है कि श्री दास को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1)(क) तथा 9 (1)(ग) के प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाय।

3. निलंबन अवधि में श्री दास का मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ रहेगा।

4. निलंबन के दौरान श्री दास को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अन्तर्गत जीवन–निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/– 18/02/14

(हाकिम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– आ0सं05/आ02–1010/2012– 102 पटना, दिनांक– 18.02.14

प्रतिलिपिः– प्रधान महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 18/02/14

(हाकिम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– आ0सं05/आ02–1010/2012– 102 पटना, दिनांक– 18.02.14

प्रतिलिपिः–निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/– 18/02/14

(हाकिम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– आ0सं05/आ02–1010/2012– 102 पटना, दिनांक– 18.02.14

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णिया/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिम, भागलपुर एवं श्री देवन दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बोचहाँ (सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा सुलतानगंज, प्रमंडल भागलपुर पश्चिम, भागलपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/02/14
(हाकिम प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– आ0सं05/आ02–1010/2012– 102 पटना, दिनांक– 18.02.14

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी–2 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/02/14
(हाकिम प्रसाद)
सरकार के उप सचिव